



IBC के तहत वसूली में वृद्धि

प्रलिस के लयः

[दवला और शोधन अकषमता संहता \(Insolvency and Bankruptcy Code- IBC\), 2016](#), भारतीय दवला और शोधन अकषमता बोरड ([Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI](#)), वततीय रूप से तनावग्रस्त कंपनयों, दवलयापन, [राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकरण \(National Companies Law Tribunal- NCLT\)](#), ऋण वसूली न्यायाधकरण ([Debt Recovery Tribunal- DRT](#)), ऋणदाताओं की समतऱ (Committee of Creditors- CoC), दवला पेशेवर

मेन्स के लयः

[दवला और शोधन अकषमता संहता \(Insolvency and Bankruptcy Code- IBC\), 2016](#), भारतीय दवला और शोधन अकषमता बोरड ([Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI](#))

[स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

भारतीय दवला और शोधन अकषमता बोरड ([Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI](#)) के हालया आँकड़ों से पता चलता है की भारत में लेनदारों ने [दवला और शोधन अकषमता संहता \(Insolvency and Bankruptcy Code- IBC\), 2016](#) के तहत अपने लगभग आधे दावों को 330 दनों की समय सीमा के भीतर पूरा कर लया है।

नवीनतम आँकड़ों की मुख्य बातें क्या हैं?

■ वसूली दरें और समयबद्धता:

- आँकड़ों से पता चलता है की वततीय रूप से संकटग्रस्त 947 कंपनयों के समाधान के परणामस्वरूप लेनदारों को 3.36 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो की [IBC \(2016\)](#) की शुरुआत के बाद से उनके दावों के 32.1% के बराबर हैं।
- [दवला और शोधन अकषमता संहता \(Insolvency and Bankruptcy Code- IBC\), 2016](#) के तहत स्ट्रेस रज़ोलयुशन (Stress Resolution) में हाल के वर्षों में सुधार हुआ है, लेकिन वसूली में तेज़ी नहीं आई है।
 - वतित वर्ष 18 और वतित वर्ष 19 में लेनदारों द्वारा वसूली 54% थी, जो महामारी के कारण वतित वर्ष 21 में घटकर 22% रह गई है।
 - वतित वर्ष 2022 में वसूली बढ़कर 23% और वतित वर्ष 2023 में 36% हो गई तथा वतित वर्ष 2024 में यह फरि घटकर 27% रह गई।
- पछिले वतित वर्ष (वतित वर्ष 24) में परस्तावों की संख्या रकॉर्ड 269 तक पहुँच गई, जो वतित वर्ष 23 में 189 और वतित वर्ष 22 में 144 थी, जसिका मुख्य कारण पछिले दो वर्षों में सरकार द्वारा [राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकरण \(National Companies Law Tribunal- NCLT\)](#) के रकित पदों को भरना था।
- लेनदारों ने दवालयापन स्वीकार करने पर दबाव बनाने वाली कंपनयों के उचतऱ मूल्य की तुलना में 85% पर मज़बूत संचयी वसूली (Stronger Cumulative Recoveries) का अनुभव कया है।
 - परसिमापन मूल्य के संदर्भ में, वसूली दर कुल परसिपत्तयों के 161.8% तक पहुँच गयी है।
- वशिषज्ज स्ट्रेस रज़ोलयुशन के लयः दवला और शोधन अकषमता संहता (IBC) को समय पर शुरू करने के महत्त्व पर बल देते हैं, क्योंकि देरी (औसतन 679 दनऱ) के कारण वसूली दर घटकर 26% रह गई है, जससे परसिपत्तऱ मूल्य एवं ऋण वसूली प्रभावतऱ हुई है।

IBC को मज़बूत करने हेतु परस्तावतऱ उपाय क्या हैं?

- वलऱंब को कम करना: IBC की 330-दनऱ की समय-सीमा के भीतर दवालयापन मामलों को कुशलतापूर्वक हल करना अनवार्य है, समाधान

की वर्तमान औसत अवधि 679 दिन है, जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मुकदमेबाज़ी को कम करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

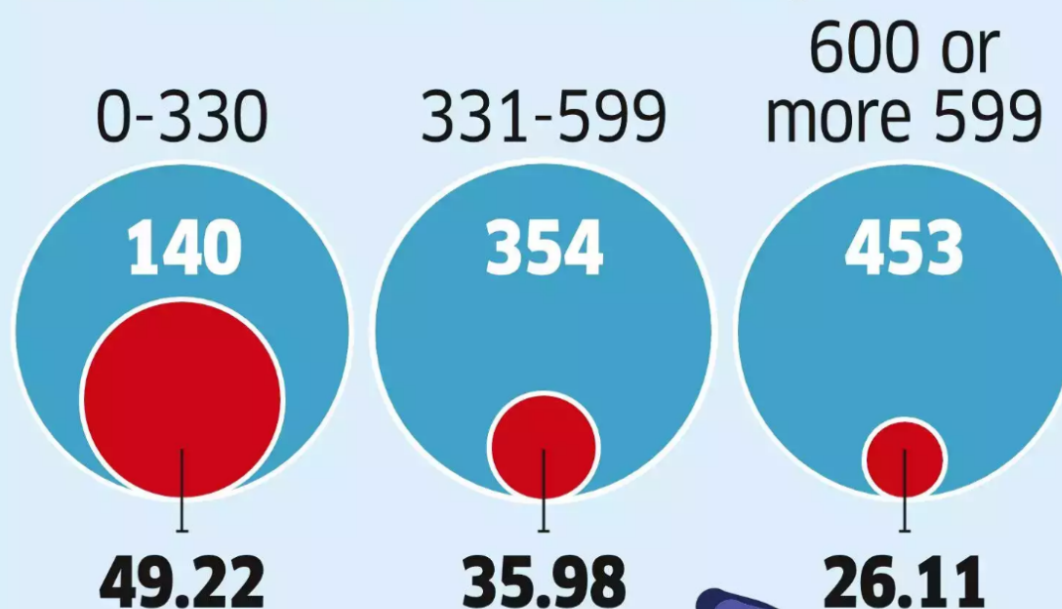
- **वसूली दरों में सुधार:** जबकि IBC ने इससे संबंधित समाधान को बढ़ावा दिया है, ऋणदाताओं द्वारा वसूले गए दावों के प्रतिशत में सुधार की आवश्यकता है। समय पर समाधान के लिये यह 49% से घटकर विलंबित मामलों में यह 26% हो गया है। इसे नमिन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है:
 - **NCLT में मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिये** पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रक्रिया में तेज़ी आए तथा लंबित मामलों के कारण होने वाली देरी को कम किया जा सके।
 - अनावश्यक कदमों को समाप्त करने व मानकीकरण प्रक्रियाओं से संबंधित अनुमोदनों में तेज़ी लाने के लिये IBC प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा उन्हें सरल बनाना आवश्यक है।
- **क्षेत्र-वशिष्ट व्यवस्थाएँ:** रयिल एस्टेट जैसे क्षेत्रों के लिये विशेष दवालयीपन व्यवस्थाओं पर विचार कीजिये, जिनमें अन्य उद्योगों की तुलना में वशिष्ट चुनौतियाँ हो सकती हैं।
- **सीमा-पार दवालयीपन ढाँचा:** अनेक देशों में परसिपत्तियों के साथ कंपनियों से जुड़े दवालयीपन मामलों को हल करने के लिये अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (United Nations Commission on International Trade Law- UNCITRAL) पर आधारित एक **प्रभावी कानूनी ढाँचा** स्थापित करना।
- **समय-सीमा की समीक्षा करना:** IBC द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पुनर्मूल्यांकन करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कुशल हैं और समाधान हेतु अनावश्यक देरी को कम किया जा सके।
- **सभी कंपनियों हेतु औपचारिक प्रीपैक:** केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME) के लिये ही नहीं, बल्कि सभी कंपनियों हेतु एक औपचारिक पूर्व-निर्धारित दवालयीपन प्रक्रिया (Pre-Packaged Insolvency Process) की अनुमति दें। इसमें औपचारिक दवालयीपन कार्यवाही शुरू करने से पूर्व एक समाधान योजना पर सहमत बनाना शामिल है।
- सभी कंपनियों के लिए औपचारिक प्रीपैक: सभी कंपनियों के लिए औपचारिक प्री-पैकेज्ड दवालयीपन प्रक्रिया की अनुमति दें, न कि केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए। इसमें औपचारिक दवालयीपन कार्यवाही शुरू करने से पहले एक समाधान योजना पर सहमत बनाना शामिल है।



Costly Delay

Resolution duration (Days)

● No of cases ● Recovery*



*% of creditors' claims approved by NCLT

Insolvency cases
pertain to late
2016-March 2024

Source: IBBI



679 DAYS Average time taken
for resolution of a stressed firm

32.10% Average recovery rate
involving 947 resolved cases

दवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की मुख्य वशिषताएँ क्‍या हैं?

- परचियः

- **द्विवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016** समयबद्ध तरीके से कंपनियों, व्यक्तियों और साझेदारी के दवालयिपन एवं शोधन अक्षमता को हल करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करती है।
 - **दवालयिपन** वह स्थिति है, जहाँ किसी व्यक्तिया संगठन की देनदारियाँ उसकी परसिंपत्तियों से अधिक हो जाती हैं और वह संस्था अपने दायित्वों या ऋणों को चुकाने के लिये पर्याप्त नकदी जुटाने में असमर्थ होती है।
 - शोधन अक्षमता तब होता है जब किसी व्यक्तिया कंपनी को कानूनी रूप से अपने देय और भुगतान योग्य बतियों का भुगतान करने में असमर्थ घोषित कर दिया जाता है।
 - **द्विवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021** ने MSME के लिये अधिक कुशल द्विवाला समाधान ढाँचा प्रदान करने के लिये 2016 की संहिता को संशोधित किया, जिससे सभी हतिधारकों हेतु त्वरति, लागत प्रभावी तथा मूल्य-अधिकतम परणाम सुनिश्चिति हुए।
- य द्विवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India- IIBI)**
- **IBBI** भारत में दवालयिपन कार्यवाही की देखरेख करने वाले नयामक प्राधकिरण के रूप में कार्य करता है।
 - IIBI के अध्यक्ष और तीन पूरणकालिक सदस्य सरकार द्वारा नयिकृत किये जाते हैं तथा वे वतित, कानून एवं दवालयिपन के क्षेत्रों के वशिषज्ञ होते हैं।
 - इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं।
- वाही का न्यायनरिणयन:**
- **राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण (National Companies Law Tribunal- NCLT)** कंपनियों के लिये कार्यवाही का नरिणय करता है।
 - **ऋण वसूली न्यायाधकिरण (Debt Recovery Tribunal- DRT)** व्यक्तियों के लिये कार्यवाही संभालता है।
 - वे समाधान प्रकरिया की शुरुआत को अनुमत देने, पेशेवरों की नयिकृत करने और ऋणदाताओं के अंतमि नरिणयों का समर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं।
- के तहत दवालयिपन समाधान की प्रकरिया:** चूक होने पर देनदार या लेनदार द्वारा शुरु की गई प्रकरिया में, दवालयिपन पेशेवर वत्तीयारी और देनदार की परसिंपत्तियों का प्रबंधन करते हैं तथा समाधान के दौरान 180 दिन की कानूनी कार्यवाई पर प्रतर्बिध होता है।
- ताओं की समति (Committee of Creditors- CoC):** दवालयिपन पेशेवरों द्वारा गठित और वत्तीय ऋणदाताओं से मलिकर बनी ऋण पुनरुद्धार, पुनर्भुगतान अनुसूची में परविरतन या परसिंपत्त परसिमापन के माध्यम से बकाया ऋणों के भाग्य का नरिधारण करती है, जिसमें की परसिंपत्तियों के परसिमापन से पूरव 180 दिन की समय-सीमा नरिधारित होती है।
- मापन प्रकरिया:** देनदार की परसिंपत्तियों की बकिरी से प्राप्त आय को सबसे पहले दवालयिपन समाधान लागतों में वतितरित किया जाता है, दूसरे पर सुरकषति ऋणदाता, तीसरे स्थान पर शरमकों और करमचारियों के बकाये तथा चौथे स्थान पर असुरकषति ऋणदाता हैं।

दृष्टमिन्स प्रश्नः

प्रश्न: भारत में दवािला और शोधन अक्षमता संहतिा (IBC) के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजयि तथा इसकी प्रभावशीलता को मज़बूत करने के उपाय सुझाएँ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न- नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परसिंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धत'(स्कीम फॉर सस्टेनेबल सट्टरकचरगि ऑफ सट्टरेसड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? (2017)

- (a) यह सरकार द्वारा नरूपति विकासपरक योजनाओं की पारसिथतिकीय कीमतों पर वचिर करने की पद्धति है ।
 (b) यह वासूतवकि कठनिाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉरपोरेट इकाइयों की वतितीय संरचना के पुनरस्रचन के लयि भारतीय रजिर्व बैंक की स्कीम है ।
 (c) यह केंद्रीय सार्वजनकि कषेत्तर उपक्रमों के बारे में सरकार की वनिविश योजना है ।
 (d) यह सरकार द्वारा हाल ही में करयिानवति 'इंसॉलवेंसी ऐंड बैंकरपटसी कोड' का एक महत्तुवपूरण उपबंध है ।

उत्तर: (b)